

Central Goods & Services Tax Act, 2017

Section 127 : Power to impose penalty in certain cases

Where the proper officer is of the view that a person is liable to a penalty and the same is not covered under any proceedings under section 62 or section 63 or section 64 or section 73 or section 74 or section 129 or section 130, he may issue an order levying such penalty after giving a reasonable opportunity of being heard to such person.

धारा 127 : कतिपय मामलों में शास्ति अधिरोपित करने की शक्ति

जहां समुचित अधिकारी का मत यह है कि व्यक्ति शास्ति के लिए दायी है और वह धारा 62 या धारा 63 या धारा 64 या धारा 73 या धारा 74 या धारा 129 या धारा 130 के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के अंतर्गत नहीं आती है तो वह ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् ऐसी शास्ति उद्गृहीत करने वाला आदेश जारी कर सकेगा।
